न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी– शकुन्तला चौधरी, आर.ए.एस
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व प्रार्थना पत्र कमांक – 11/2024 (जीसीएमएस नं0 2024/30)

मदनसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत निवासी पोसालिया तह0 शिवगंज जिला सिरोही

– प्रार्थीगण

बनाम

1. हडमतसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी पोसालिया
2. सोहनकुंवर पत्नी मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी पोसालिया
3. दीवानकुंवर पत्नी हडमतसिंह जाति राजपूत निवासी पोसालिया
4. बलवंतसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी पोसालिया
5. करणसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत निवासी पोसालिया
6. छैलसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत निवासी पोसालिया
7. प्रतापसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत निवासी पोसालिया
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

– अप्रार्थीगण

उपस्थितिः–

1. विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत सोनी, प्रार्थीगण
2. विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राठौड, अप्रार्थी सं. 1 ता 4
3. विद्वान अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार, अप्रार्थी सं. 5,6

–:निर्णयः–

दिनांक 02.08.2024

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री प्रशांत सोनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि मौजा पोसालिया पटवार हल्का पोसालिया तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 1102/441 रकबा 2.4281 हैक्टयर भूमि संयुक्त खातेदारान की आई हुई है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी तथा कब्जा काश्त है। उक्त आराजी प्रार्थी के पिता स्व0 श्री भारतसिंह पुत्र श्री आईदान राजपूत के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की थी। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त आराजी के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाईयो व माता के नाम से दर्ज हुई तथा प्रार्थी की माता की मृत्यु के बाद उक्त आराजी उनके चारों पुत्रों के नाम से राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज हुई। प्रार्थी परिवार में सबसे छोटा है। जिससे सभी का स्नेह प्रार्थी के प्रति शुरू से ही रहा है। प्रार्थी के सभी भाईयों/माता के मध्य करीब 10 वर्ष पूर्व हुए आपसी मौखिक विभाजन में उक्त आराजी प्रार्थी के हिस्से में रखी गई थी क्योंकि प्रार्थी ही वृद्ध माता की सेवाश्रुआ कर उनका भरण पोषण करता आ रहा है। मौखिक विभाजन में आराजी आने के बाद प्रार्थी अकेला उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। प्रार्थी के भाईयों ने उक्त आराजी पर कभी भी खेती नहीं की तथा विभाजन के बाद उक्त आराजी में कभी भी अपना हक नहीं जताया है। प्रार्थी के भाई यदि वादग्रस्त आराजी पर खेती करते भी है तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रार्थी के भाई श्री छैलसिंह ने प्रार्थी की जानकारी के बिना उक्त आराजी में उनके स्वयं के 1/5 वे हिस्से की आराजी का विकय अप्रार्थी सं0 4 बलवंतसिंह को किया है तथा श्री करणसिंह ने प्रार्थी की जानकारी के बिना उक्त आराजी में उनके स्वयं के 1/5 वे हिस्से आराजी का विकय अप्रार्थी सं0 3 दिवानकुंवर को किया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उक्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी तथा कब्जा काश्त का होने तथा प्रार्थी उक्त आराजी प्रार्थी के मौखिक विभाजन पर काबिज होने से काश्त करने से प्रार्थी की जानकारी के बिना उक्त आराजी का विकय किया गया है जो कानूनन विधिसम्मत नहीं है। हक सफा के आधार पर उक्त आराजी को खरीद करने का प्रथम अधिकार भी प्रार्थी का है। जिससे प्रार्थी के भाईयों द्वारा निष्पादित विकय विलेख विधि विरूद्ध है। जिसे निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा अलग से कार्यवाही की गई है। उपरोक्त आराजी प्रार्थी के भाईयों के मध्य हुए मौखिक विभाजन में प्रार्थी के हिस्से में रखी गई थी, जिस पर प्रार्थी अपने परिवार के साथ काश्त कर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी के भाई छैलसिंह व करणसिंह का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा हक अधिकार नहीं रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 11:03:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के भाई श्री छैलसिंह व श्री करणसिंह द्वारा किये गये विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता व परिवारजन वादग्रस्त आराजी पर बिना विभाजन करवाये जबरन करीब एक माह से प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखअंदाजी कर रहे है। जबरन कीमती भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। प्रार्थी एक सीधा साधा व्यक्ति है। जो उक्त व्यक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता है। क्रेतागण अत्यंत ही प्रभावशाली व धनवान व्यक्ति है। जो अपने धनबल के आधार पर प्रार्थी के कब्जे में जबरन दखअंदाजी कर रहे है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है अप्रार्थी सं0 3 व 4 तथा उनके परिवारजन को वादग्रस्त आराजी को बिना विभाजन आराजी में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं नहीं है। अप्रार्थी सं0 3 व 4 तथा उनके परिवारजन द्वारा बिना किसी अधिकार के तथा बिना विभाजन के संयुक्त आराजी में प्रवेश करने देनें की दशा में प्रार्थी अपनी आराजी से वंचित हो जायेगा तथा प्रार्थी अपनी आराजी होते हुए भी अपनी आराजी से वंचित हो जायेगा। जिससे प्रार्थी को बहुविवाद में उलझना पडेगा। प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं0 3 व 4 तथा उनके परिवारजन तथा उनके ऐजेंटों नोकरों आदि के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना फरमावें।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व अप्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की और से अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राठौड व अप्रार्थी सं0 5 की और से अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 11.06.2024 को अप्रार्थी सं0 7 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 6 की और से अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार ने अंडर टेकिंग ली गई। दिनांक 10.07.2024 को अप्रार्थी सं0 1 ता 4 व 5 ने जवाब पेश किया। दिनांक 24.07.2024 को अप्रार्थी सं0 8 स्टेट ने जवाब पेश नहीं करने से उनका जवाब बंद किया गया तथा इसी दिन उभय वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में अपने कथनों को दोहराया कि प्रार्थी के भाईयों ने उक्त आराजी पर कभी भी खेती नहीं की तथा विभाजन के बाद उक्त आराजी में कभी भी अपना हक नहीं जताया है। प्रार्थी के भाई यदि वादग्रस्त आराजी पर खेती करते भी है तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रार्थी के भाई श्री छैलसिंह ने प्रार्थी की जानकारी के बिना उक्त आराजी में उनके स्वयं के 1/5 वे हिस्से की आराजी का विक्रय अप्रार्थी सं0 4 बलवंतसिंह को किया है तथा श्री करणसिंह ने प्रार्थी की जानकारी के बिना उक्त आराजी में उनके स्वयं के 1/5 वे हिस्से आराजी का विक्रय अप्रार्थी सं0 3 दिवानकुंवर को किया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उक्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी तथा कब्जा काश्त की होने तथा प्रार्थी उक्त आराजी प्रार्थी के मौखिक विभाजन पर काबिज होने से काश्त करने से प्रार्थी की जानकारी के बिना उक्त आराजी का विक्रय किया गया है जो कानूनन विधिसम्मत नहीं है। सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है अप्रार्थी सं0 3 व 4 तथा उनके परिवारजन को वादग्रस्त आराजी को बिना विभाजन आराजी में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं0 3 व 4 तथा उनके परिवारजन द्वारा बिना किसी अधिकार के तथा बिना विभाजन के संयुक्त आराजी में प्रवेश करने देनें की दशा में प्रार्थी अपनी आराजी से वंचित हो जायेगा तथा प्रार्थी अपनी आराजी होते हुए भी अपनी आराजी से वंचित हो जायेगा। जिससे प्रार्थी को बहुविवाद में उलझना पडेगा। प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं0 3 व 4 तथा उनके परिवारजन तथा उनके ऐजेंटों नोकरों आदि के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना फरमावें। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1–2005(1)RLW(RJ) page 83 प्रभुलाल बनाम मुकेश कुमार
2–1996RRD Larger bench page 148 देवीलाल बनाम कमला शंकर
3–1996RRD Larger bench page 22 धापुबाई बनाम बंशीलाल व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 11:03:26 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी के बहस को अनुचित बताते हुए कथन किये कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पुश्तैनी खातेदारी तथा कब्जा काश्त की होना गलत व मनगढंत होने से अस्वीकार किया है तथा उक्त आराजी प्रार्थी तथा कब्जा काश्त होना गलत व मनगढंत होने से अस्वीकार किया है। उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 5 ता 7 के पिता स्व0 श्री भारतसिंह पुत्र श्री आईदान राजपूत के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की होना तथा उनके स्वर्गवास के बाद उनके चारों पुत्र व उनकी पत्नी के नाम दर्ज तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 5 ता 7 की माता की मृत्यु के बाद उक्त आराजी चारों पुत्रों के नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज होने के कथन को स्वीकार किया है। प्रार्थी व उसके भाईयों के मध्य कभी भी आपसी मौखिक विभाजन नहीं हुआ है व ना हि उक्त वादग्रस्त आराजी कभी भी प्रार्थी के हिस्से में रखी गई है। बल्कि सही हकीकत यही है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 5 ता 7 के पिता भारतसिंह जी के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी का नामांतरकरण प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 5 ता 7 के नाम व उनकी माता के नाम दर्ज हुआ व भारतसिंहजी की पत्नी के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी का नामांतरकरण प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 5 ता 7 के नाम दर्ज हुआ। तथा शुरू से ही भारतसिंह जी स्वर्गवास के बाद उक्त वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 5 ता 7 के मध्य विभाजन हो चुका है। जिससे अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त कर रहे है। तथा कुछ समय पूर्व प्रार्थी के भाई अप्रार्थी सं. 5 करणसिंह व अप्रार्थी सं. 6 छैलसिंह को अपने घरेलू कार्य हेतु रूपयों की जायज जरूरत होने पर अप्रार्थी सं. 5 करणसिंह ने अपने हक हिस्से कब्जे अनुसार वादग्रस्त आराजी के संपूर्ण हिस्से में से 1/5 का विक्रय अप्रार्थी सं. 3 दिवान कुंवर को तथा अप्रार्थी सं. 6 छैलसिंह ने वादग्रस्त आराजी के संपूर्ण हिस्से में से 1/5 का विक्रय अप्रार्थी सं. 4 बलवंतसिंह को किया, जिससे अप्रार्थी सं. 5 व 6 के बेचान उपरांत अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 उक्त आराजी पर 1/5 हिस्से में उनका नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ हैं। उसके बाद से अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 7 की जानकारी में अपने क्रय हिस्से अनुसार मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त थे। तथा अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 की खरीद पूर्व से प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के मध्य मौके पर बंटवाड कर तारबंदी की हुई हैं। उक्त आराजी पर प्रार्थी का अकेला कब्जा होना पूर्णरूप से गलत व मनगढत होने से अस्वीकार हैं। उक्त वाद केवल मात्र अप्रार्थीगण सं. 1 लगाय 4 को हैरान परेशान करने के लिए किया गया हैं। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र काबिले खारिज हैं। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1–2020(1) CJ(Civ)(Raj)page 577 ओमप्रकाश व अन्य बनाम जय प्रकाश
2–2018RBJ page 25

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम सुनी गई। पत्रावली में संलग्न प्रार्थनापत्र, जवाब प्रार्थनापत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1.प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य यह है कि वादपत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका यह अर्थ नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 11:03:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र में संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी और अप्रार्थी सं0 3 व 4 अभिलिखित सह काश्तकार हैं परंतु प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 5 व 6 के मध्य भूमि का कोई विभाजन उनके हिस्से अनुसार हो चुका हो। प्रार्थी एवं वे सहखातेदार हैं तथा विवादित भूमि पर काबिज है, जबकि अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 स्ट्रेंजर परचेजर होने व संयुक्त भूमि की खाते का विभाजन हुए बिना निश्चित तौर पर यह कहना कठिन हैं कि विक्रेता का कब्जा कहाँ था तथा उसने क्रेता को किस भूमि का कब्जा संभलवाया हैं। अविभाजित भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व सहखातेदार स्ट्रेंजर परचेजर के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य एक दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट 1955 हाजा न्यायालय मे विचाराधीन है अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगणों के पक्ष में आंशिक रूप से साबित होता है।

2.सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं किया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 3 व 4 सहखातेदार है और प्रार्थी का अप्राथी सं. 3 व 4 के विरुद्ध दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट 1955 हाजा न्यायालय मे विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला भी आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में अगर प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है तो न्यायालय के अभिमत में प्रार्थी को अधिकतम असुविधा हो सकती है।

3.अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी तात्विक क्षति से है, जिसकी पूर्ति नुकसान के रूप में नहीं की जा सकती, चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का स्थाई निषेधाज्ञा घोषणा का दावा विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में आंशिक रूप से साबित हुआ हैं। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिंदू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति आंशिक रूप से साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाना विधिसम्मत समझते हैं।

—::आदेश::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थनापत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई आंशिक रूप से साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी सं0 3 व 4 इस आशय का जारी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी **मौजा पोसालिया पटवार हल्का पोसालिया तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 1102/441 रकबा 2.4281 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से में स्थित भूमि पर** अप्रार्थी सं0 3, 4 व उसके ऐजेन्ट कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे। प्रार्थी की फसल नष्ट नहीं करे तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने ताफैसला मूल वाद रहन बैय न करें। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राज.)

(शकुंतला चौधरी) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2024/ 550

दिनांक 02.08.2024

प्रतिलिपि पालनार्थः—
तहसीलदार शिवगंज

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 11:03:26 IST
Reason: SelfAttested